राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3493/2021

फूल सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, सीकर।
5. कोषाधिकारी, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.08.2021
आदेश की दिनांक : 30.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.08.2019, 07.11.2018 एवं 05.08.2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी से वसूली राशि की कटौती न की जावे तथा जो राशि रूपये 1,80,000/– वसूल की गई है, उसे मय ब्याज सहित वापस लौटाई जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर दिनांक 01.09.1969 को हुई थी और उसे नियमानुसार हैड कांस्टेबल तदुपरांत सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी ने 35 वर्ष की सेवायें पूर्ण की और दिनांक 01.11.2004 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गया। दिनांक 21.12.2004 को पीपीओ जारी किया गया, जिसमें

समस्त सेवानिवृत्ति लाभ जारी किये गये। अपीलार्थी का पेंशन छठे वेतन आयोग के आधार पर निर्धारित किया गया और 17 वर्ष से अपीलार्थी पेंशन प्राप्त कर रहा है, परंतु अपीलार्थी का रिवाईज्ड पीपीओ दिनांक 20.08.2019 को जारी किया गया और अपीलार्थी की पेंशन घटा दी गई। कोष अधिकारी, सीकर द्वारा दिनांक 07.11.2019 को आदेश जारी किया गया, जिसमें यह सूचित किया गया कि मंहगाई भत्ता मूल वेतन के साथ जोड दिया गया, जिससे अतिरिक्त राशि का भुगतान हो गया है और इस प्रकार अतिरिक्त भुगतान होने पर राशि रूपये 1,80,000/– की कटौती की गई है। अपीलार्थी वर्ष 2004 में सेवानिवृत्त हुआ है और वर्ष 2019 में वसूली आदेश जारी किया गया है, जो लगभग 15 वर्ष बाद जारी किया गया है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रफीक मसीह वाले मामले में इस प्रकार की वसूली किया जाना उचित नहीं माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.08.2019, 07.11.2018 एवं 05.08.2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी से वसूली राशि की कटौती न की जावे तथा जो राशि रूपये 1,80,000/– वसूल की गई है, उसे मय ब्याज सहित वापस लौटाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी दिनांक 01.11.2004 को सेवानिवृत्त हुआ है। अपीलार्थी को पेंशन विभाग द्वारा नियमानुसार मंहगाई दर देय थी और आदेश दिनांक 14.10.2004 द्वारा मंहगाई राहत 61 प्रतिशत में से 50 प्रतिशत राहत को मंहगाई वेतन मानकर पेंशन विभाग द्वारा स्वीकृति जारी की गई। परंतु पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में पेंशन नियत करते समय संशोधित स्वीकृति अनुसार मंहगाई वेतन सम्मिलित नहीं मानते हुये पुनः संलग्न स्टेटमेंट के अनुसार अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली नियमानुसार की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति होने के लगभग 15 वर्ष पश्चात् रूपये 1,80,000/– वसूल की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :–

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).
(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.
(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.
(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.
(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee. would be iniquitious or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

अतः न्याय निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से माना है कि जहां कार्मिक सेवानिवृत्त हो गया है तो उससे वसूली न की जाये। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी से उसकी सेवानिवृत्ति पश्चात् वसूली किया जाना उचित नहीं है।

परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2019, 07.11.2018 एवं 05.08.2020 को अपास्त फरमाये जाते हैं। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वो वसूली गई राशि रूपये 1,80,000/- अपीलार्थी को वापस लौटायी जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष